



A follow up visit on 4/14/02 after

नियम २१ के अन्तर्गत प्रधान सचिव
संविधान द्वारा १६.८.१९७१
कारबीच द्वारा अनुमति
१ ला संलग्न
(पा स्टाम्प फूह) द्वारा

Lal
निवारण प्रभु नामांकन
(झारखण्ड)
M.Ran
18/11/06

二十二

free Parol

10 1210 h
X@ 54.03

1964 0

~~Cost~~ 2.50
~~Psf~~ ~~.92~~
~~3 yr~~

1467 M.L.

नाम मोकीर - मसोमात माधुरी देवी पति स्व० तिलकधारी राज
जात कुम्हार पेशा खेती साकिन सोबरनटोली लोहरदगा थाना वो
जिला लोहरदगा झारखण्ड राज्य भारतीय।

नाम गोकिर अलैह : श्री प्रदीप कुमार पिता स्व० तिलकधारी राम
जात कुम्हार पेशा गृहस्ती साकिन सोबरनठोली कालेज रोड
लोहरदगा थाना वो जिला लोहरदगा झारखण्ड राज्य भारतीय
नागरिक ।



500Rs.



किसीम वसीका : केवाला बैला कलामी (Sale Deed)

तायदाद रुपैया : मो 0 1,41,000/- एक लाख
इकतालीस हजार रु० मात्र।

Date - 13/10/06
 At Sardarpur - Panipat

तफसील जमीन : मवाजी 5 डिसमिल (पांच डिसमिल) जमीन ठांड हकियत रैयती कायमी खाता न० 345 नामें सोबरनटोली ठांड सा० प्लाट न० 828 बिक्री रकबा 5 डिसमिल जिसका नाप उत्तर जानिब पुरब पश्चिम 25 फीट दखिन जानिब पुरब पश्चिम 25 फीट पुरब जानिब उत्तर दखिन 93 फीट पश्चिम जानिब उत्तर दखिन 90 फीट ब- मौजिब मैंप जो साथ केवाला के नत्थी है जिस पर बिक्री रकबा लाल रंग से दिखलाया गया है । जिसके उत्तर नीज दखिन कालेज रोड पुरब बन्धु महतो पश्चिम चमर महतो वाके मौजा लोहरदगा थाना लोहरदगा थाना न० 194 जिला लोहरदगा मुतलके कंलकटरी वो डि० रजिस्टर वो डि० सब रजिस्टर लोहरदगा जो बजरिये अर्दीदगी तारीख 16.8.1973 दस्तावेज न० 2894 सन् 1973 ई० जिसका बुक न० 1 भौलूम 4 पेज 540 से 543 तरफ से निरंजन दास के मन मोकिरा को हासिल है जिस पर मन मोकिरा हकदार वो दखलकार चली आती है जो हर तरह से पाक वो साफ है अब्दर जमीन्दारी झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी लोहरदगा के वाके है ।

K. Lalit Kumar
 Do Not Pay
 Court Rs. 50/- as Record Fee
 13.10.06



Advocate

50 RS.



रोज से उपरोक्त जमीन पर मोकीर अलैह मजकुर को
काबीज दखलकार किया चाहिए कि मोकीर अलैह मजकुर मैं उनके
वारिसान उपर सैं जमीन पर काबीज दखलकार होकर वो रह कर
प्लाट मजकुर पर कच्चा पक्का मकान बनावें चहारदिवारी ढँ या
कुंआ खोदावें या जैसा पसन्द हो करे वो आज के बाद जो कुछ
के हक हकुक आज के रोज से मनमोकीर हुआ वो होगा अब
आज के तारीख से किसी किसीम का हक दावी दावा वास्ता या
सरोकार उपर सैं जमीन पर मनमोकीर या वरिसान के बाकी नहीं
रहा वो न ही आइन्दे होगा जो कुछ के हक दावी दावा वास्ता या
सरोकार उपर सैं जमीन पर मन मोकीर वो वरिसान के था या
आइन्दे होता सो सब कुल हक हकुक बजिन्सहू आज के तारीख
से खरीददार मजकुर मैं उनके वारिसान का हुआ वो होगा वो सैं
बिक्री जमीन का माल सलाने जमीन्दार मौजा मजकुर को देकर
रसीद अपने नाम से हासिल कर लिया करे वो दाखिल खारीज
वगैरह कदा लेवे कोई उजुर न होगा इस वास्ते हम अपने खुशी
से कुल रुपया नगद ले कर केवाला बैला कलामी लिख दिया के
वक्त पर काम आवे ।

तारीख 13 माह नवम्बर सन् 2006 ई०



50 RS.



कातिब कुमार चन्द्रशेखर अधिवक्ता लोहस्वग।
मजमून पढ़ कर मोकिर को सुना गो समझा दिया।
एगणित किया जाता है कि मूल दरनुवेज गो द्वितीय प्रति दोनों एक दुसरे की है
ब हू सच्ची प्रतिलिपि है।

Q. 2
राज्य प्रशासन
पंजाब, 13-10-06



MS
Kishor Sahu
Advocate



उद्धोषण
13.10.06

Certified that the finger prints of the left hand of each person whose photographs is affixed in the document have been obtained before me.

K. K. Chahal
12/11/06

कुमार चन्द्रशेखर
अधिवक्ता



Braj Kishor Sahu
Advocate

12/10/06

50 Rs.



जिसका माल सलाने मो 50 पैसा है जिसपर मकान निर्मित नहीं है
। जमीन मकान बनाने योग्य अन्दर नगरपालिका लोहरदगा वार्ड न०
11 मुहल्ला सोबरनटोली कालेज रोड जो मुख्य पथ पर स्थित है ।
जमीन का विवरण

खाता न०

345

प्लाट न०

828

रकमा

5 डि०

१३/१०.०६
४५२५४७४
४५२५४७४
४५२५४७४

घोषित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है और ना सरकार के द्वारा अधिग्रहण ही किया गया है घोषित करते हैं कि प्रसांगिक भूमि भूदान, भू हदबन्दी, लीज तथा भू बन्दोबस्ती की नहीं है यह भूमि खनन एवं वन सीमा से बाहर है तथा घोषित किया जाता है कि यह भूमि मठ, मन्दिर, गिरजा, मस्जिद, सरना तथा गुरुद्वारा का नहीं है स्पष्ट किया जाता है कि प्रसांगिक भूमि की बिकी पूर्व में नहीं की गई है यह भी घोषित किया जाता है कि उपरोक्त जमीन आदिवासी खाता की जमीन नहीं है ।

आगे मन मोकीर मोकीर अलैह मजकुर से मो 1,41,000/- एक लाख इकतालीस हजार रुपया लेकर जमीन मजकुरे वाला के साथ बेचा वो बैला कलामी किया वो आज के

